न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 227 / 18 / टोंक (2018 / 00227)

विभागीय अपील द्वारा श्री दिनेश कुमार पारीक तत्कालीन पटवारी बनस्थली हाल भू.अ.निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग जिला टोंक विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, टोंक दिनांक 21–04–1993 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री दिनेश कुमार पारीक तत्कालीन पटवारी बनस्थली हाल भू.अ. निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः– 04.01.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, टोंक के आदेश दिनांक 21.04. 1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 01.12.1992 को एक नोटिस अन्तर्गत नियम 17 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

वर्ष 1991–92 की समाप्ति पर आपने पटवार मण्डल वनस्थली के सियाहा एवं ढाल–बांछो का अंतिम मिलान कराने हेतु तहसीलदार के पत्रांक 430–37 / टीआरए / 13.4.1992 द्वारा पाबन्द किया गया था किन्तु इसकी पालना में न तो आप उपस्थित हुए और न ही आपने मिलान कराया।

आरोप संख्या– 2

आपके उपस्थित नहीं होने पर तहसीलदार, निवाई के पत्रांक 484–94 / टीआरए दिनांक 2.5.1992, पत्रांक 566–76 / टी.आर.ए दिनांक 7.5.1992 एवं पत्रांक 623 / टीआरए दिनांक 8.6.1992 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तत करने हेतु आपको

नोटिस दिये तथा तत्काल मिलान कराने हेतु आदेशित किया किन्तु इस पर भी न तो आपने मिलान कराया और न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

आरोप संख्या– 3

आपने तहसीलदार निवाई के पत्रांक 459/टीआरए दिनांक 1.5.1992 की भी न तो पालना की और न ही कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया।

आरोप संख्या– 4

दिनांक 8.6.1992 को मिलान हेतु आपके सियाह लिए जाने पर अवलोकन से पाया गया कि वे पूर्णतया अपूर्ण है तथा मार्च 1992 के तृतीय सप्ताह के बाद उनके हाथ भी आप द्वारा नहीं लगाया गया। किसी भी सियाह में गौशवारा तक भी लगा हुआ नहीं था तथा कई गांवों में दैनिक योग भी पेन्सिल से लगे हुए थे। आई.एल.आर. की जांच का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वसूली जैसे रेकार्ड को गत दो माह की अवधि में इस दुर्दशा में पटके रखना गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही है। चूंकि सियाहो में 31.3.1992 तक की कोई प्रविष्ठी नहीं थी। अतः राजकीय राशि का गबन भी सम्भावित है।

आरोप संख्या– 5

आप द्वारा मिलान नहीं कराने के कारण तहसील के डीसीबी जिला कार्यालय भिजवाने में असाधारण रूप से विलम्ब हुआ और अन्ततः आपके पटवार मण्डल के 10 गांवों की ढाल–बांछों का मिलान हुए बिना ही डीसीबी जिला कार्यालय में भिजवाने पड़े जिसके लिए आप उत्तरदायी है तथा इस कारण होने वाली राजस्व हानि के जिम्मेदार है।

आरोप संख्या– 6

पटवार मण्डल वनस्थली में गत वित्तीय वर्ष 1990–91 में 0029 भू–राजस्व की वसूली शत प्रतिशत हुई थी तथा चालू वित्तीय वर्ष 1991–92 में केवल चालू मांगे वसूली के लिए थी जिसमें भी 70 प्रतिशत केआस–पास पूर्व पटवारी ने वसूली कर ली थी। आपने पटवार मण्डल वनस्थली में उपस्थित होने के बाद वसूली कार्य भी नहीं किया जिसके फलस्वरूप इस वर्ष काफी बकाया राशि वसूली से शेष रही।

आरोप संख्या– 7

माह मार्च 92 में सघन वसूली कार्यक्रम चलाया गया था तथा 30 व 31 मार्च 92 को सभी पटवारियान ने भारी मात्रा में वसूलियां जमा कराई थी आपके पटवार मण्डल में काफी बकाया होते हुए भी दिनांक 23.3.1992 के बाद आपकी कोई वसूली नहीं थी।

आरोप संख्या– 8

उक्त प्रकार आपने मार्च, अप्रेल, मई, जून, 92 में कोई कार्य नहीं किया। अतः अपने कार्य से अनुपस्थित रहे है।

इस प्रकार इस प्रकार आप कार्य नहीं करने, कार्य में लापरवाही करने, आदेशों की पालना नहीं करने के दोषी है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने अपीलान्ट को वित्तीय वर्ष 1991–92 में संधारित लेखों का मिलान तहसील राजस्व लेखाकार से समय पर नहीं करवाने पर एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, टोंक के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी, टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, टोंक का आदेश दिनांक 21.4.1993 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है प्रार्थी को संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई। परिस्थितियोंवश यथाः जो भी विलम्ब हुआ वह सद्भाविक होकर क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थी की सेवा में नियुक्ति प्रार्थी के पिता की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने के कारण मृतक आश्रित के रूप में हुई है। प्रार्थी अपने अलावा अपने पांच भाई बहनो व लम्बे समय से बीमार अपनी माताजी की सार–संभाल में निरन्तर लगे रहने के कारण ध्यान नहीं दे पाया। उक्त सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रार्थी अधिकांश समय विभिन्न कारणों से बीमार रहने के कारण बार–बार चिकित्सा अवकाशों पर भी रहा है जिसकी पुष्टि प्रार्थी की सेवा पुस्तिका में भिन्न भिन्न अवधि के इन्द्राज रूपान्तरित एवं उपार्जित अवकाशों के अवलोकन से स्वतः ही हो जावेंगी। उक्त समस्त अवधि में प्रार्थी द्वारा उक्त दण्डादेश की पत्रावली की बार–बार प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र कई बार प्रस्तुत किये गये किन्तु प्रार्थी को आज तक भी पत्रावली की प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं करवाई गई अपितु जिला कलक्टर टोंक द्वारा उनके पत्रांक 147 दिनांक 13.6.18 को उक्त पत्रावली रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होने बाबत

अवगत कराया गया। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा कानूनी सलाह उपरान्त उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा सात आरोप से आरोपित किया गया है। प्रार्थी द्वारा पटवार मण्डल वनस्थली पर कार्यरत रहते समय पूर्ण निष्ठा से कार्य किया गया तथा वसूली भी राज्य सरकार द्वारा मापदण्ड अनुसार पूर्ण की गई है तथा राशि समय पर राजकोष में जमा करवाई गई है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा स्वयं निर्णय में मात्र एक आरोप की मिलान टी.आर.ए. से नहीं कराने का कारण मानते हुए एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त संबंध में अपीलांट का कथन है कि उनके द्वारा तत्कालीन समय में समय पर कार्य किया गया है अंतिम मिलान हेतु ढालबांछ व सियाहा जांच हेतु भू. अ.निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने पर इनके द्वारा रिकार्ड रख लिया गया तथा इस कारण समय पर मिलान नहीं करवाया जा सका। प्रार्थी द्वारा शत प्रतिशत वसूली दिनांक 23.3.1992 तक पूर्ण की जा चुकी थी तथा समय पर राशि राजकोष में जमा कराई जाती रही है। प्रार्थी की पटवारी पद पर नियुक्ति दिनांक 09.10.1987 को मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में की गई थी। पटवार प्रशिक्षण वर्ष 1990 में प्राप्त करने के उपरान्त पटवार मण्डल वनस्थली का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था। प्रार्थी का मूल पदस्थापन अवकाश आरक्षित पटवारी तहसील निवाई के पद पर था। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश को निरस्त करने का श्रम करावे।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उपखण्ड अधिकारी, टोंक से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 361 दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 से अवगत कराया है कि प्रकरण अत्यधिक पुराना है, संबंधित पत्रावली रिकार्ड शाखा

कलेक्ट्रेट टोंक से चाही गई। प्रभारी जिला अभिलेखागार ने अवगत कराया कि संबंधित पत्रावली उनके रिकार्ड में भी नहीं है। अतः बिना रिकार्ड के अपील पर टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है।

अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन व गहन मनन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं जैसा कि अपीलांट के द्वारा अपने बचाव में यह अवगत कराया कि उसके द्वारा पटवार मण्डल बनस्थली पर कार्यरत रहते समय पूर्ण निष्ठा से कार्य किया तथा वसूली भी राज्य सरकार द्वारा मापदण्ड अनुसार पूर्ण कर राशि राजकोष में जमा करवाई गई। अंतिम मिलान हेतु अपीलांट द्वारा ढालबांछ व सियाहा जांच हेतु भू.अ.निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने पर इनके द्वारा रिकार्ड रख लिया गया तथा इस कारण समय पर मिलान नहीं करवाया जा सका। अपीलांट द्वारा शत प्रतिशत वसूली दिनांक 23.3.1992 तक पूर्ण की जा चुकी थी। अपीलांट की पटवारी पद पर नियुक्ति दिनांक 9.10.1987 को मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में की गई थी। पटवार प्रशिक्षण वर्ष 1990 में प्राप्त करने के उपरान्त पटवार मण्डल बनस्थली का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था जबकि पटवारी लीव रिजर्व पटवारी तहसील निवाई के पद पर कार्यरत था। नवनियुक्त पटवारी को किसी अनुभवी पटवारी के सहयोग के रूप में लगाया जाना चाहिए। सीधे पटवार मण्डल का चार्ज देना उचित नहीं है। भू.अ.निरीक्षक द्वारा समय पर रिकार्ड नहीं दिये जाने के कारण राजस्व लेखाकार से समय पर मिलान नहीं करवाया गया जिसका उल्लेख अपीलांट द्वारा अपील में किया गया है। रिकार्ड के अभाव में अपीलांट द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की कोई अवहेलना किया जाना सिद्ध नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा उक्त दण्डादेश की पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये किन्तु प्रार्थी को आज दिवस तक पत्रावली की प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं करायी गई तथा जिला कार्यालय टोंक में पत्रावली रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होने बाबत अवगत कराया। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई गम्भीर कृत्य कारित नहीं किया है जिससे उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। अपचारी कर्मचारी को जारी आरोप पत्र में उसे 8 आरोपों से आरोपित किया गया है जबकि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा स्वयं निर्णय में मात्र एक आरोप कि अंतिम मिलान टी.आर.ए. से नहीं कराने का कारण मानते हुए एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है जो अपने आप में स्वयं ही विरोधाभासी होने से विधिसम्मत नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने तहसीलदार, निवाई द्वारा पारित आरोपों को आधार मानकर दण्डादेश पारित किया है जबकि उपखण्ड अधिकारी को विधिवत जांच कराकर दण्डादेश पारित करना चाहिए था। उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने अपचारी पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से (Without Cumulative Effect) रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं अपीलार्थी की अपील पर कोई भी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपचारी कर्मचारी को जारी आरोप पत्र में उस पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सकते ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध पारित दण्डादेश को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। अतःएव उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 21.04.1993 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 21.04.1993 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.01.24 17:46:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: